36

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/21 सन् 2021

जीसीएमएस संख्या–2021/145

बउनवानीः–

1. देवीराम पुत्र दयाराम कोली निवासी कुण्डेरा तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 279 निर्णय दिनांक 14.10.1977 वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री मुकेश बंसल वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

–ः निर्णय ः– दिनांक 5.5.2022

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 279 निर्णय दिनांक 14.10.1977 वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलान्ट के दादा काडू के नाम वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर की खातेदारी भूमि ख0न0 58/696, 59/689 वाके ग्राम भदलाव में कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त ख0न0 के नये नम्बर 95, 98, 106/1353 कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 है0 बने है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के दादा काडू पुत्र खेमा कोली का स्वर्गवास दिनांक 5.10.1965 को हो गया था एवं अपीलान्ट के पिता दयाराम का देहान्त दिनांक 10.5.1969 को हो गया था। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपील के संलग्न है। अपीलान्ट के दादा के हिस्से की जमीन खाता संख्या पुराना 259 नया 268 का नामा0 अपीलान्ट के दादा कालू के नाम से अपीलान्ट के नाम खुला लेकिन उसमे पिता का नाम गलती से दयाराम के स्थान पर कालू कर दिया गया जो आज तक चला आ रहा है। जबकि अपीलान्ट के पिता का सही नाम दयाराम है। उक्त नामा0 खुलने के बाद जमाबन्दी मे भी लडडू, देवीराम पिता कालू कोली दर्ज हो गया है व पास बुक मे भी यही नाम दर्ज है लेकिन बाद में कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी मे लडडू के स्थान पर लटूर कर दिया गया। जिसमे प्रार्थी अपीलान्ट की कोई गलती नही है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता का नाम भी सभी दस्तावेजों में दयाराम है। जमाबन्दी व नामा0 में अपीलान्ट के पिता का नाम दयाराम के स्थान पर बाबा का नाम कालू कर दिया गया है जिसे ठीक किया जाना आवश्यक है।

आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.6.2021 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त हुई है तथा जानकारी व नकल प्राप्त होने पर अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील नामा0 संख्या 12/2021 उनवानी देवीराम वगै.बनाम सरकार)

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है किन्तु अपील मयाद बहार प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक काडू पुत्र खेमा अपीलान्ट का दादा है तथा पिता दयाराम पुत्र काडू की मृत्यु होने के उपरान्त काडू पुत्र खेमा कोली की विरासत का नामा0 काडू के पुत्र दयाराम की बजाय सीधे ही उसके पोत्र अपीलान्ट के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट के पिता दयाराम के स्थान पर उसके दादा काडू का नाम अंकित कर दिया है जो गलत है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पिता का नाम सही करवाया जाना उचित होगा।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील में अपीलान्ट के पिता का नाम दयाराम के स्थान पर उनके दादा काडू का नाम गलत तरीके से दर्ज होना बताया गया है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 5.5.2022 मे भी अपीलान्ट के कथन की पुष्टि की जाकर अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि विवादित नामा0 मे अपीलान्ट के पिता दयाराम के स्थान पर उनके दादा काडू का नाम अंकित हो गया था जो गलत है। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में मृतक काडू के विधिक वारिसान के सही नाम व सही वल्दियत की जानकारी करवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक काडू पुत्र खेमा कोली निवासी कुण्डेरा के विधिक वारिसान एवं उनकी वल्दियत की सही जानकारी करवायी जाकर एवं काडू के विधिक वारिसान को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर सभी विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.5.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:20:18 IST
Reason: SelfAttested